



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT, INDORE (MP)

Phone : 0731-2811132/2811775/ Fax No. 0731- 2811559

I.S.D.S

पत्र क्र. 3626 / क्षे.सं. / T-3(iii) / इसदुसं / 2021

दिनांक 22.09.2021

दुग्ध संकलन परिवहन वाहन हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

- इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों/बीएमसी पर दुग्ध समितियों से दिनांक 21.10.2021 से 20.10.2024 की अवधि में दूध परिवहन कार्य के लिये वाहन हेतु **Online** द्वितीय ई-निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य सन्तोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशासा पश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। वाहन मॉडल 2016 या उसके बाद का होना चाहिए।

क्र.	दु.शी./बी.एमसी के नाम जिनके लिए संकलन वाहन/समकक्ष वाहन की आवश्यकता है।	ई-निविदा क्रय हेतु अन्तिम दिनांक/समय	ई-निविदा प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक/समय	तकनीकी ई-निविदा खोलने का दिनांक/समय एवं स्थान
1	RMRD/ दुग्ध शीतकेन्द्र- टोंकखुर्द / चापड़ा / फूलगावडी / झाबुआ / आम्बुआ/पेटलावद/ /बड़वाह/ बुरहानपुर/ बड़वानी /खरगोन से संबंधित मार्ग	दिनांक 04.10.2021 दोपहर 1:30 बजे तक	दिनांक 04.10.2021 दोपहर 1:30 बजे तक	दिनांक 05.10.2021 दोपहर 2:30 बजे, कार्यालय इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. मांगलिया, इन्दौर

वाहन हेतु निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गों की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्तें/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है। डिजीटल साईन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डबलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल से टोल फ़ी नम्बर 18002588684 पर संपर्क करें। समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-: निविदा प्रपत्र :-

निविदा कार्य:-

- इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुग्ध समितियों से दुग्ध परिवहन कर RMRD/दुग्ध शीतकेन्द्र – टॉकखुर्द/चापड़ा/फूलगावडी/झाबुआ /आम्बुआ /बड़वाह/ बुरहानपुर/खरगोन तक लाना है। परिवहन अवधि तीन वर्ष (21.10.2021 से 20.10.2024 तक) हेतु द्वितीय ई-निविदा।

ई-निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय : 04.10.2021 / दोपहर 1:30 बजे तक

ई-निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय : 04.10.2021 / दोपहर 1:30 बजे तक

तकनीकी ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय : 05.10.2021 / दोपहर 2:30 बजे

तकनीकी ई-निविदा खोले जाने का स्थान : कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मांगलिया इन्दौर,

पत्राचार हेतु पता:- : मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या
चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ANNEXURE I : निविदा शर्त

ANNEXURE II : अनुबंध पत्र

ANNEXURE III : फार्म – A

ANNEXURE IV : भाव पत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर
दुग्ध संकलन परिवहन हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई—निविदा प्रस्तुत करने हेतु निबंधन एवं शर्ते**

1. निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) प्रतिवाहन रूपये 10000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) एमपी टेन्डर्स को ऑन लाईन जमा कर रिफ्रेश नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा भाव पत्र फार्म में दुग्ध संकलन मार्ग का नाम, मार्ग क्र. प्रस्तुतकर्ता का नाम, पता तथा आयकर विभाग का PAN No. (ऐन नम्बर) लिखा होना चाहिये।
3. निर्धारित अवधि एवं समय पश्चात यदि निविदा भाव पत्र फार्म एवं धरोहर राशि प्राप्त होती है तो वह निविदा निरस्त मानी जावेगी, इस हेतु संघ जवाबदार नहीं होगा।
4. बीएमसी एवं समस्त शीतकेन्द्रों से संबंधित प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग तथा वाहन के लिये अलग—अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी।
5. प्रत्येक मार्ग तथा वाहन के लिये धरोहर की राशि भी अलग—अलग जमा करना होगी। संघ अंतर्गत संचालित वाहन ठेकेदारों को भी ऑनलाईन सुरक्षा अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा मे उल्लेखित दर मे समस्त शासकीय टेक्स/टोल टेक्स इत्यादि सम्मिलित करते हुए निविदा प्रस्तुत की जावें। निविदा की दर स्पष्ट शब्दो एवं अंको मे अलग—अलग प्रतिदिन/प्रति किलो मीटर लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा। साथ ही वर्तमान में लगने वाले टोल टेक्स व अन्य टेक्स की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की रहेगी। भविष्य में यदि किसी मार्ग पर टोल टेक्स प्रारम्भ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदे प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान परिवहन देयक के साथ किया जावेगा।
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्यारनामा की फोटो कापी संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर (अर्नेस्ट मनी) की राशि एक माह मे वापस कर दी जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिनांक तक रु. 1000/- के स्टाम्प एवं वाटर मार्क पेपर पर अनुबंध टंकित करवाकर एवं नोटरी करवाकर स्वयं के फोटो सत्यापन पश्चात प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि मे अनुबन्ध प्रेषित नहीं किया जाता है तो निविदा निरस्त कर दी जावेग तथा देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। अनुबन्धकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है, संघ मे जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि मे पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा मे निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही सम्पूर्ण धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
10. प्रतिभूति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—
 - (अ) टाटा मैजिक/वैन अथवा समान क्षमता वाहन हेतु रूपये 10000/-
 - (ब) ट्रेक्टर/जीप/पिकअप/टाटा 207/मेटाडोर/
टाटा ACE/छोटा हाथी अथवा समान क्षमता वाहन हेतु। रूपये 20000/-
 - (स) टाटा 407/आयशर 1059 अथवा समान क्षमता रूपये 40000/-
के वाहन/बड़े वाहन रूपये

11. धरोहर/प्रतिभूति राशी पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
12. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग से परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है। इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढे उसी निर्धारित दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनमें सम्मिलित या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबन्धित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकेगा। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारम्भ किया जा सकेगा, जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबन्धित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल किया जाकर अन्य मार्ग से सम्बद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबन्धित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।
13. अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक माह परिवहन देयक, निर्धारित प्रारूप पर बनाकर प्रस्तुत करना होगें, जिसमें ठेकेदार का नाम एवं पता एवं आयकर पेन नम्बर बैंक खाता नंबर, वाहन का पंजीयन नम्बर अंकित होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु 1 से 30 तारीख तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा 5 तारीख तक संघ/शीतकेन्द्र पर देना होगे, जिसका भुगतान आगामी माह की 21-23 तारीख तक किया जावेगा, दिनांक 5 तारीख के पश्चात प्राप्त देयकों का भुगतान आगामी माह के देयकों के साथ किया जावेगा।
14. पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा स्वीकृत करे, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दे और निगोसिएशन के आधार पर अन्तिम निर्णय करे। साथ ही निविदा में प्राप्त परिवहन दर, गत/वर्तमान दर से कम प्राप्त होने पर ऐसे मार्ग पर निगोसिएशन की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
16. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिये। अस्पष्ट, कटी, फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
17. संघ द्वारा समय सारिणी निर्धारण सामान्यतः 40 किलो मीटर प्रति घन्टे की रफतार से किया जावेगा, तथा प्रत्येक पाईन्ट हेतु तीन से पांच मिनिट का समय दूध उठाने तथा खाली केने प्रदाय करने तथा आवश्यक सामग्री देने एवं ट्रक शीट की पूर्ति हेतु दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई जा सकती है।

18. निविदाकार को अपने नाम से पंजीकृत वाहन के डेयरी में उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, किसी अन्य के नाम से पंजीकृत वाहन हेतु दरें प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। निविदा भाव पत्र फार्म के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा की फोटो कापी और लाईन संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। निविदाकार के नाम से वाहन का पंजीयन न होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की गई है वहीं वाहन निविदा स्वीकृत होने पर चलाना होगा।

19. निविदा प्रस्तुतकर्ता ने उल्लेखित वाहन क्रय किया तथा किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवश्यक होगा कि निविदा के साथ वाहन खरीदी प्रमाण पत्र (सेलडीड) की फोटो कापी संलग्न करे। तत्पश्चात 15 दिन में वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी फोटो कापी एवं मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगे, अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा/अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

20. यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन नहीं है एवं नया वाहन क्रय कर संघ में संकलन वाहन चलाना चाहता है तो उसे निविदा पत्र फार्म A के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड / बीमा की छायाप्रति संलग्न करने से छूट रहेगी। निविदा स्वीकृत होने पर वाहन चलाने के 2 दिन पूर्व उसे वाहन के क्रय बिल की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी। तथा 15 दिन पश्चात पंजीयन कार्ड/बीमा की छायाप्रति देना होगी, अन्यथा ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जावेगी।

21. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर डेयरी संयंत्र मांगलिया/शीतकेन्द्र पर लाना होगा।

22. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबूझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि निविदा निरस्त कर जमा बयाने की राशी जप्त कर ले।

23. इन्दौर दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों/ संघ प्रतिनिधियों के सगे सम्बन्धी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

24. अनुबन्धित वाहन पर झायवर एवं क्लीनर अनुबन्धकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगे, तथा इन कर्मियों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत देय राशि एवं अन्य सभी प्रावधानों के पालन करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटोत्रा का लेखा-जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।

25. सामान्य परिस्थितियों में दोनों पक्ष अर्थात् दुग्ध संघ एवं निविदाकर्ता तीन माह का अग्रिम सूचना पत्र देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगे, परन्तु उनके वाहन मे नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों मे सन्निहित होने की दशा मे पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा ओर इन परिस्थितियों मे संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस इकरार नाम की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरारनामा को निरस्त कर सके। इकरारनामा निरस्त करने की दशा मे संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
26. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबन्ध प्रारम्भ होने के 1 माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप मे संघ के सन्तुलित पशुआहार सुदाना का विज्ञापन अनुबन्धित वाहन पर लिखवाना होगा।
27. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबन्धित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबन्ध अवधि मे बांस का टटर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी, अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड किया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।
28. अनुबन्धित वाहन मे ईधन के रूप मे डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप मे अन्य (घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस) का उपयोग वर्जित माना जावेगा।
29. आयकर विभाग से स्थायी लेखा संख्या नम्बर लेकर व संघ को प्रस्तुत करना होगा। तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। पेन नम्बर के अभाव मे परिवहन देयक का भुगतान करना संभव नहीं होगा।
30. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन मे जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति मे रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे मे रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
31. निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र मे उल्लेखित शर्तों को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
32. निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त मे कोई संशोधन करने, नई शर्त जोड़ने या उल्लेखित शर्तों मे आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।
33. निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अन्तिम होकर सभी को स्वीकार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर एवं दुग्ध संकलन परिवहन निविदाकार
के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाला अनुबंध



1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार) श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती से है एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी/दुग्ध शीतकेन्द्र तक एवं आरएमआरडी/दुग्ध शीतकेन्द्र से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुँचाने हेतु परिवहन करने वास्ते प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक से द्वितीय पक्षकार (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये -----अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी./प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. **अ)** यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी।
 - ब)** निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा प्रश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवे शर्तों पर की जावेगी।
02. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य डेयरी या शीतकेन्द्र से होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुँचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीतकेन्द्र तक लाने की जवाबदारी

प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा समय—समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जॉच करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पार्टीट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पार्टीट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में प्रथम पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

04. द्वितीय पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, धी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, धी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगाने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है इसका लेखा—जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
06. निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।
07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी प्रथम पक्ष से काटी जावेगी।
08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या—कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हों, को छोड़कर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।
11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. प्रथम पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
- 15.(अ) पशुआहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईंट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशुआहार ले जाना आवश्यक होगा। धी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) पशुआहार/धी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर प्रथम पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।
- (स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशुआहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशुआहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।
- (द) पशुआहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशुआहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुँचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा।

16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व प्रथम पक्ष का होगा तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।
- (अ) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या-कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जबावदारी प्रथम पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
- (ब) प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े, उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. अनुबंधित वाहनो पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दंड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी प्रथम पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमितताएं करते पाए जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। यह राशि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
24. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनो पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाएं जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं हैं एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
30. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती /कुं..... संबंध उम्र

..... को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/ श्रीमती/ कुं..... को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष देगा।

31. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
32. संघ के कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नहीं हैं यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
33. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएं जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।
34. प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।
 - (अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
 - (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
 - (स) दिये गये दूध एवं दूध प्रदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।
 - (द) समय पर दूध एवं दूध प्रदार्थ नहीं पहुंचानें की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावें, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।
36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. प्रथम पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वेकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/ समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा किसी भी स्थिति में केनों के

- ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।
39. वाहन में दुग्ध से भरे केनो की क्षमता निम्नानुसार होगी।
- | | |
|--|---------|
| वैन/टाटा मैजिक/या समान क्षमता का वाहन | 15 केन |
| जीप/टाटा ACE/या समान क्षमता का वाहन | 25 केन |
| पिकअप या समान क्षमता का वाहन | 40 केन |
| मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन | 55 केन |
| टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन | 75 केन |
| टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन | 120 केन |
- अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
40. प्रत्येक माह के परिवहन देयक आगामी माह की दिनांक 05 तक संबंधित दुग्ध संघ के शीतकेन्द्र पर प्रस्तुत करना होगें। जिनका भुगतान उस माह की दिनांक 23 से 25 के मध्य तक, देयक पर दर्शाये गये बैंक के खाता नम्बर में जमा कर किया जावेगा।
41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लीप एवं एडवार्ड पहुँचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।
44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुँचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीतकेन्द्र तक पहुँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरें में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01.	टेम्पों/वेन	30 कि.मी.
02.	टाटा एसीई/मिनीडोर	22 कि.मी.
03.	मेटाडोर/जीप/जुगाड़	15 कि.मी.
04.	टाटा 407/आय.1059 एवं समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
05.	टाटा 608, 609, 709, आय.1090/1095	08 कि.मी.
06.	ट्रैक्टर	07 कि.मी.
07.	टाटा 807/मिनी ट्रक	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एकत या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा-जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
48. संकलन मार्ग पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
49. डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीतकेन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा माना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।
51. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
52. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
53. छोटे वाहन हेतु रु. 10000.00 मध्यम वाहन हेतु रु. 20000.00 एवं बड़े वाहन हेतु रु. 40000.00 प्रतिभूति अमानत राशि वाहन ठेकेदार द्वारा संघ में जमा कराई जावेगी।
54. परिवहन देयक से चार पहिया वाहन हेतु रु. 15.00 तथा छ: पहिया वाहनों हेतु रु. 20.00 प्रतिदिन केन रख-रखाव कटौत्रा किया जावेगा।
55. संघ को यह अधिकार होगा कि उस दर एवं शर्तों पर ठेके की निर्धारित अवधि को तीन माह तक बढ़ा सके। यह वाहन ठेकेदार को मान्य होगा।
56. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

57. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

58. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र **इन्डौर** रहेगा।

मैं प्रथम पक्षकार अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभूति एवं होशोंहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

द्वितीय पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्डौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्डौर

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता

नाम

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष क्रं

मोबाइल नम्बर

स्थाई लेखा संख्या पेन

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

01. हस्ताक्षर -----

हस्ताक्षर -----

01. नाम -----

01. नाम -----

पता -----

पता-----

मो0 नं. -----

मो0 नं.-----

आई.डी. प्रूफ -----

आई.डी. प्रूफ -----

02. नाम -----

02. नाम-----

पता -----

पता-----

मो0 नं.-----

मो0 नं.-----

आई.डी. प्रूफ -----

आई.डी. प्रूफ -----

नोट:- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र -----
सील सहित

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

ANNEXURE- III

—:: दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा पत्र ::— फार्म — A

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

फोटो

विषय :— बीएमसी / दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक _____ पर वाहन लगाने
बाबद।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित द्वितीय अल्पकालीन ई—निविदा सूचना अनुसार दुग्ध संकलन परिवहन हेतु अपनी ई—निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्तें मान्य हैं। विस्तृत विवरण निम्नवत है—

1. वाहन ठेकेदार का नाम _____ पिता का नाम _____

वारिस का नाम _____ उम्र _____ सम्बन्ध _____

पूरा पता _____

मोबाईल नम्बर 1 _____ 2 _____

2. निविदा धरोहर राशि प्रतिवाहन रु. 10000/- (रु.दस हजार केवल) MP Tenders को ऑन लाईन जमा कर रेफरेंस नम्बर अंकित है।

3. वाहन क्र. _____ वाहन का प्रकार._____

वाहन की क्षमता (केन संख्या) _____ माडल वर्ष._____

4. मार्ग का पूरा नाम _____

मार्ग क्रमांक _____

बी.एम.सी. / शीतकेन्द्र का नाम _____

5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर.....

6. निविदा अवधि 21 अक्टूबर 2021 से 20 अक्टूबर 2024 तक या संघ को आवश्यकता पड़ने पर मैं निविदा अवधि बढ़ाने का अधिकार संघ को प्रदान करता हूँ।

महत्वपूर्ण सूचना:— इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर MP Tenders में जमा राशि का रेफरेंस नम्बर, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन बीमा की छायाप्रति ऑनलाईन ई—निविदा में जमा करें, अन्यथा प्रस्तुत ई—निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार के नाम से वाहन पंजीकृत नहीं होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर